01

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

सत्यदेव प्रसाद वगै0 बनाम् रामलाल साव वगै0

विविध वाद संख्या –59/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. सत्यदेव प्रसाद, पिता – श्री किशुन महतो,
2. जगरनाथ साव, पिता – श्री मेसर साव उर्फ मेसर नायक,

दोनों साकिन – धरगुल्ली, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. रामलाल साव, पिता – स्व0 चुटा नायक,
2. मुरली साव, पिता – श्री रामलाल साव,
3. टिंकु साव, पिता – श्री रामलाल साव,
4. छोटी साव, पिता – स्व0 भुनेश्वर साव,

सभी साकिन– धरगुल्ली, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
धरगुल्ली	284	1390	16 डी0 मधे 08 डी0	उ0– बासुदेव महतो वगै0, द0– भोला महतो वगै0, पु0– द्वितीय पक्ष, प0– आम रास्ता।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 06.05.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. केवाला संख्या – 13259, दिनांक – 04.12.2004 की छायाप्रति, कुल – 08 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. सत्यदेव प्रसाद वगै0 के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

4. नजरीया नक्शा की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. सत्यदेव प्रसाद एवं जगरनाथ साव के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 2 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 06.05.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 01 – यह कि मौजा – धरगुल्ली, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0 – 284, प्लॉट नं0 – 1390, रकबा – 16 डी0 मधे 08 डी0 चौहदी उ0 – बासुदेव महतो वगै0, द0 – भोला महतो वगै0, पु0 – द्वित्तीय पक्ष, प0 – आम रास्ता, जो प्रथम पक्ष को श्रीमती सनिचरिया देवी, पति – स्व0 भागी नायक उर्फ भगल नायक साकिन – धरगुल्ली, पो0 – धरगुल्ली, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह से दिनांक – 04.12.2004 को खरीदगी से जमीन हासिल है। खरिदगी से हासिल के बाद सभी खरीददार उक्त वर्णित जमीन पर शान्तिपूर्वक दखलकार हुए तथा दाखिल – खारिज करा कर सरकारी राजस्व लगान भुगतान कर सरकारी राजस्व लगान रसीद प्राप्त किये व करते आ रहे हैं।

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि खरिदार सत्यदेव प्रसाद, प्रकाश मंडल एवं मदन प्रसाद, जगरनाथ साव में से दो प्रकाश मंडल एवं मदन प्रसाद अपना – अपना 04 डी0 करके दोनों 08 डी0 बिकी किया जो द्वित्तीय पक्ष खरिद किए और अपना दखल – कब्जा में आया। लेकिन दिनांक – 04.05.2024 को द्वित्तीय पक्ष के सभी सदस्य हरवे हथियार से लैश होकर गाली – गलौज करते हुए आये और हम दोनों प्रथम पक्ष के चौहदी के दखल – कब्जा की जमीन को हड़पने के नियत से मकान बनाने हेतु नींव खोदने लगा। प्रथम पक्ष द्वारा मना करने पर मार–पीट, खुन – खराबा पर उतारू हो गया।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 04.07.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. केवाला संख्या– 3424, दिनांक – 18.05.2012 की छायाप्रति – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. केवाला संख्या– 5096, दिनांक – 29.06.2012 की छायाप्रति – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. सत्यदेव प्रसाद एवं जगरनाथ साव बनाम् मसो0 सोहवा के व्यानानामा की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – यह कि विवादग्रस्त जमीन मौजा – धरगुल्ली, थाना नं0 – 05, खाता नं0 – 284, प्लॉट नं0 – 1390, रकबा – 16 डी0 मधे 04 डी0 जिसकी चौहदी उ0 – बासुदेव महतो, द0 – खुभलाल महतो वगै0, पू0 + प0 – रास्ता विपक्षी को विकय पत्र केवाला द्वारा हासिल है। दूसरा केवाला खाता नं0 – 284, प्लॉट नं0 – 1390, रकबा – 16 डी0 मधे 04 डी0 जिसका चौहदी उ0 – बासुदेव महतो, द0 – भोला महतो, पू0 + प0 – ग्रामीण रास्ता कुल रकबा – 08 विपक्षी को विकय पत्र केवाला द्वारा हासिल है

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि प्रथम पक्ष का कुल रकबा – 16 डी0 भुखण्ड है, जो कि वर्त्तमान समय प्रथम पक्ष द्वित्तीय पक्ष के साथ एकरारनामा किए हैं।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – यह कि वर्त्तमान समय में प्रथम पक्ष एवं द्वित्तीय पक्ष के बीच में मधुर संबंध स्थापित हो गया है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 05 – यह कि कार्यवाही को बंद किया जाए।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा वाद लाया गया था 08 डी0 पर जो विपक्षी को केवाला द्वारा हासिल है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 07 – यह कि मूल रैयत अपने बचे हुए शेष भूखण्ड 08 डी0 को भी वर्त्तमान समय में बिकीनामा एकरारनामा कर दिए है, जिसकी छायाप्रति स्पष्टीकरण के साथ संलग्न है।

थाना बगोदर का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, बगोदर का पत्रांक– DR No. – 1080/24 दिनांक – 09.05.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

विष्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
धरगुल्ली	284	1390	16 डी0 मधे 08 डी0	उ0– बासुदेव महतो वगै0, द0– भोला महतो वगै0, पु0– द्वित्तीय पक्ष, प0– आम रास्ता।

2. **प्रथम पक्ष** के द्वारा समर्पित केवाला संख्या – 13259, दिनांक – 04.12.2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि **विक्रेता – श्रीमती सनिचरिया देवी, पति – स्व0 भागी नायक उर्फ भगल नायक से –– क्रेता – सत्यदेव प्रसाद, प्रकाश मंडल, मदन प्रसाद एवं जगरनाथ साव को ––** खाता नं0 – 284, प्लॉट नं0 – 1390, रकबा – 16 डी0 जमीन, चौहदी उ0 – बासुदेव महतो , द0 – भोला महतो , पु0 – रास्ता, प0 – रास्ता, हासिल हुआ। (**प्रदर्श A-2**)

   उक्त विवादित भूमि खाता नं0 – 284, रकबा – 16 डी0 का, सत्यदेव प्रसाद वगै के नाम से, दिनांक 04.06.2011 को निर्गत ऑफलाईन लगान रसीद संलग्न किया गया है। (**प्रदर्श A-3**)
   इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कथित 16 डी0 जमीन के चार हिस्सेदार हैं।

3. **द्वित्तीय पक्ष** का कहना है कि उक्त चार हिस्सेदार में से दो हिस्सेदार क्रमशः प्रकाश मंडल एवं मदन प्रसाद से 04 – 04 डी0 करके, कुल 08 डी0 जमीन द्वित्तीय पक्ष खरीद लिये है।
   (केवाला संख्या– 3424, दिनांक – 18.05.2012 की छायाप्रति, **प्रदर्श B-2**)
   (केवाला संख्या– 5096, दिनांक – 29.06.2012 की छायाप्रति, **प्रदर्श B-3**)

   इस बात को प्रथम पक्ष भी स्वीकार करते हैं कि द्वित्तीय पक्ष 16 डी0 में से, 08 जमीन खरीद लिये हैं, परन्तु प्रथम पक्ष का कहना है कि द्वित्तीय पक्ष, प्रथम पक्ष की चौहदी के दखल – कब्जा की जमीन को हड़पने के नियत से, मकान बनाने हेतु नींव खोदने लगे, जिस बात को लेकर विवाद है।

04

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच प्रश्नगत प्लॉट – 1390, रकबा – 16 डी0 में, चौहदी को लेकर विवाद है।

हालांकि द्वित्तीय पक्ष के द्वारा, उभय पक्ष के बीच हुए सादा एकरारनामा, दिनांक – 25.05.2024, समर्पित करते हुए कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति हो गई है, परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा इस संबंध में न्यायालय में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

चुँकि यह विवाद चौहदी का है और इसका निपटारा इस न्यायालय से संभव नहीं है, अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10.07.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

10.07.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.07.23 11:00:00 +05:30
Location: 192.168.1.5